वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2025: प्रमुख परिवर्तन और निहितार्थ

वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा 2 अप्रैल, 2025 को लोक सभा में पेश किया गया था, 1995 के वक़्फ़ अधिनियम में महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तावित करता है। यह विधायन, जो भारत में वक़्फ़ संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करता है, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) द्वारा जांच के अधीन रहा है।

संशोधित विधेयक में, विपक्षी सांसदों के आपत्ति जताने के बावजूद, जेपीसी की सिफारिशों पर आधारित कई विवादास्पद संशोधन शामिल हैं। ये परिवर्तन वक़्फ़ संपत्तियों के नियमन और संबंधित विवादों के निपटारे में सरकार की भूमिका को विस्तृत करेंगे।

by OJAANK IAS

वक़्फ़ उपयोगकर्ता सिद्धांत को सीमाओं के साथ बरकरार रखना

1

मूल सिद्धांत

औपचारिक दस्तावेजों के बिना भी, लगातार सामुदायिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों को धार्मिक उपहार माना गया

2

प्रारंभिक प्रस्ताव

मूल विधेयक में 'वक़्फ़ उपयोगकर्ता' की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त करना

3

जेपीसी की सिफारिश

इस सिद्धांत को खत्म करने से दशकों से समुदायों द्वारा प्रबंधित संपत्तियों की कानूनी स्थिति अस्थिर हो सकती है

4

संशोधित दृष्टिकोण

अधिनियम के पहले पंजीकृत संपत्तियों को जब तक विवादित या सरकारी भूमि के रूप में पहचाना नहीं जाता, उनकी स्थिति बरकरार रहेगी; भविष्य के दावों के लिए यह सिद्धांत प्रतिबंधित है

वक़्फ़ संपत्तियों को स्थापित करने के लिए नए आवश्यकताएं

पांच वर्ष का अभ्यास आवश्यकता

व्यक्तियों को वक़्फ़ स्थापित करने के लिए "कम से कम पांच वर्ष से इस्लाम का अभ्यास करते हुए दिखाना या प्रदर्शित करना होगा"

आलोचना

आलोचकों का तर्क है कि यह आवश्यकता संभावित दाताओं को, विशेष रूप से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति दान करना चाहने वाले हाल के धर्मांतरितों को, मनमाने ढंग से बाहर कर देती है

भविष्य के प्रभाव

जबकि ऐतिहासिक संपत्तियों की सुरक्षा की जाती है, नई आवश्यकताएं नई वक़्फ़ संपत्तियों स्थापित करने के लिए कठोर शर्तें बनाती हैं

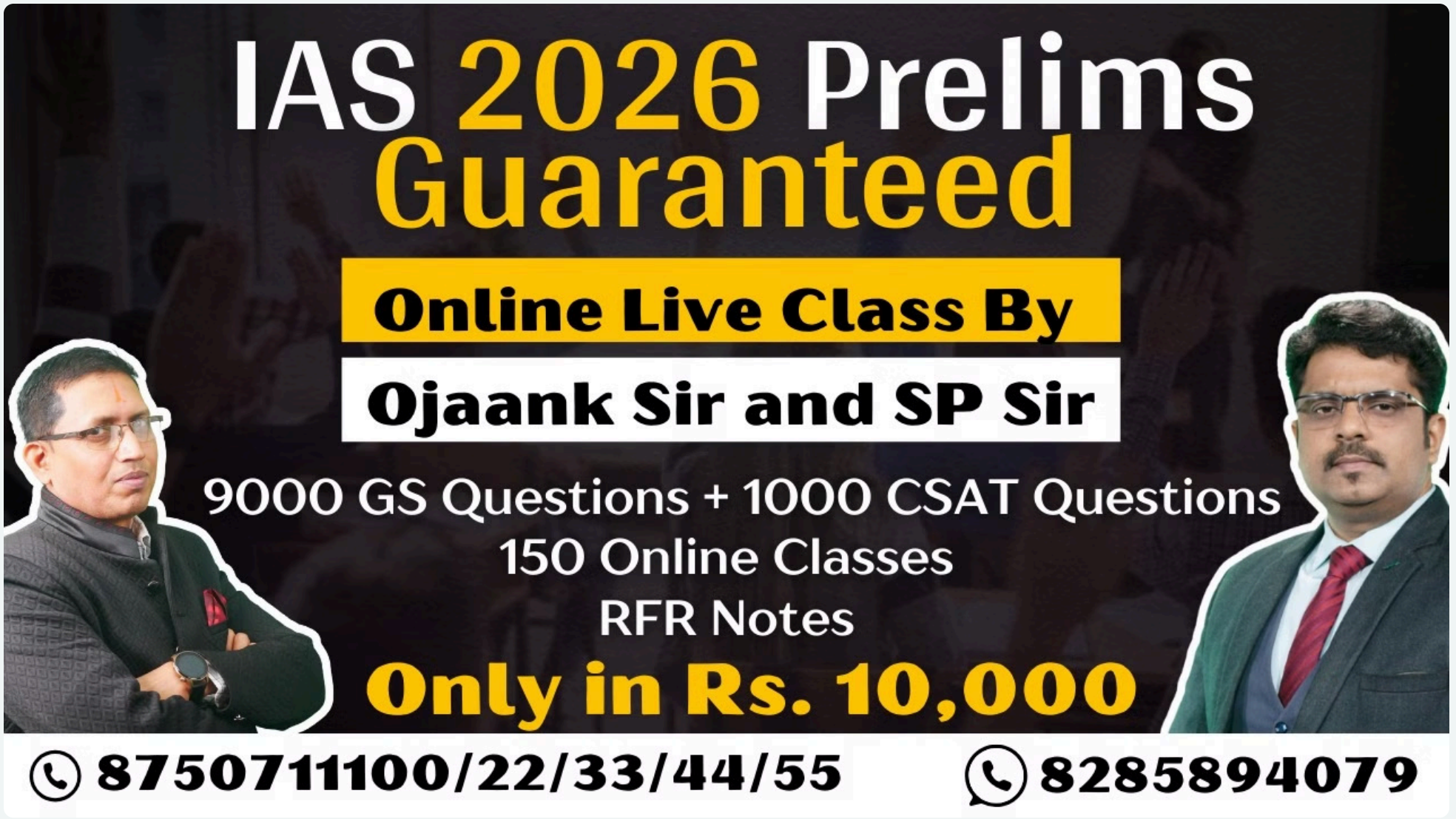

IAS 2026 Prelims की तैयारी अब होगी Guaranteed के साथ! 🔥📚
Ojaank Sir और SP Sir की Online Live Classes में मिलेगा Top Level Guidance✅

💡 **9000 GS Questions**
💡 **1000 CSAT Questions**
💡 **150 Online Live Classes**
💡 **RFR Notes**

💥 **ये सब कुछ सिर्फ ₹10,000 में! सपना नहीं अब रियलिटी बनेगा IAS बनना! 🚀**

Download Ojaank App Now Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ojaank

Course Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/518

📢 **Limited Seats | पहले आओ पहले पाओ**

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें - https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

👉🏻 **Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079**

वक़्फ़ संस्थानों में गैर-मुस्लिमों का समावेश

केंद्रीय वक़्फ़ परिषद

कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना होगा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

यह आवश्यकता हटा दी गई है कि वक़्फ़ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना चाहिए

राज्य वक़्फ़ बोर्ड

कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और "वक़्फ मामलों" से संबंधित संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी को शामिल करना होगा

वक़्फ़ न्यायाधिकरण

दो से बढ़कर तीन सदस्यों में विस्तारित, जिसमें एक जिला न्यायाधीश, संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी और मुस्लिम कानून का एक विशेषज्ञ शामिल होंगे

गैर-मुस्लिम समावेश के बारे में विपक्ष की चिंताएं

संवैधानिक अधिकार

विपक्षी दल तर्क देते हैं कि ये बदलाव समुदाय के धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं

वे दावा करते हैं कि धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन मुख्य रूप से उस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया जाना चाहिए

सरकार का औचित्य

सरकार का कहना है कि वक्फ संस्थानों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का उद्देश्य विशेषज्ञता और पारदर्शिता को बढ़ाना है

अधिकारी जोर देते हैं कि गैर-मुस्लिम परिषद और वक्फ बोर्ड दोनों में अल्पसंख्यक बने रहेंगे, जिससे समुदाय का प्रतिनिधित्व बना रहेगा

संपत्ति सर्वेक्षणों में बढ़ती सरकारी देखरेख

वरिष्ठ अधिकारी की आवश्यकता

जिला कलेक्टरों से ऊपर के अधिकारियों को वक़्फ़ संपत्ति सर्वेक्षण करने होंगे, विशेष रूप से विवादित मामलों में

अंतिम मध्यस्थता प्राधिकरण

वरिष्ठ सरकारी अधिकारी संपत्ति विवादों में अंतिम मध्यस्थ बन जाते हैं, 1995 के अधिनियम में निर्धारित वक़्फ़ न्यायाधिकरणों को प्रतिस्थापित करते हैं

वर्गीकरण प्रतिबंध

अधिकारी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक संपत्तियों को वक़्फ़ के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता

सरकारी भूमि प्रक्रिया

यदि इसे सरकारी संपत्ति माना जाता है, तो अधिकारियों को राजस्व रिकॉर्ड अद्यतन करने और वक़्फ़ बोर्डों को अपने रिकॉर्ड संशोधित करने के निर्देश देने होंगे

🔥 UPSC को पक्का Current Affairs Strategy के साथ CRACK करना चाहते हो? तो यह है आपकी Golden Navratri Opportunity 🪔

Ojaank Sir की HWC Method = "Selection wali class" वापस आ गई है 2026-27 Aspirants के लिए 🚀

💥Bilingual Batch (Hindi + English) 💥Best से Best Online सीखने का मौका 💥Navratri पर जबरदस्त छूट – ₹24,000 → अब सिर्फ ₹12,000/साल 💥Monthly Payment? सिर्फ ₹2,000!

🧠 Updated रहो, आगे बढ़ो, और IAS बनने का सपना सच करो 🥳 Download Ojaank App Now Link :- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ojaank

Course Link - https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/528

📢 Limited Seats | पहले आओ पहले पाओ

Ojaank IAS में Admission लेने लिए दिए गए link पर Click करके Form भरें - https://docs.google.com/forms/d/1PzN1wR9JewyqDUCQY4kP60HuoefjYTVnmIL69PIRmxc/edit

अधिक जानकारी के लिए तुरंत Call करें :- 8750711100/22/33/44/55

👉🏻 Ojaank Sir के साथ सीधा Whatsapp से जुड़ें : 8285894079

वक़्फ़ संपत्तियों के लिए केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली

सूचना अपलोड

कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी वक़्फ़ संपत्तियों से संबंधित सूचना एक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए

नए पंजीकरण

कोई भी नई वक़्फ़ संपत्ति पंजीकरण केवल इस पोर्टल के माध्यम से संबंधित वक़्फ़ बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए

विस्तार प्रावधान

वक़्फ़ न्यायाधिकरण देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखाने पर छह महीने की समय-सीमा को बढ़ा सकते हैं

रिकॉर्ड रखरखाव

इस प्रणाली का उद्देश्य देश भर में वक़्फ़ संपत्ति रिकॉर्ड की सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ाना है

वक़्फ़ संपत्तियों पर प्रतिबंध अधिनियम का प्रयोग

धारा 107 का निरसन

विधेयक धारा 107 के निरसन का प्रस्ताव करता है, जिसने 1963 के प्रतिबंध अधिनियम को वक़्फ़ संपत्तियों पर लागू नहीं होने दिया था

12 वर्ष की प्रतिबंध अवधि

वक़्फ़ बोर्ड अब अतिक्रमित संपत्तियों को वापस प्राप्त करने के लिए मानक 12 वर्ष की प्रतिबंध अवधि के अधीन होंगे

विरोध की चिंताएं

AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता दावा करते हैं कि इससे 12 वर्ष से अधिक समय से अवैध रूप से वक़्फ़ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले व्यक्ति प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से स्वामित्व का दावा कर सकते हैं

न्यायिक समीक्षा प्रावधानों में वृद्धि

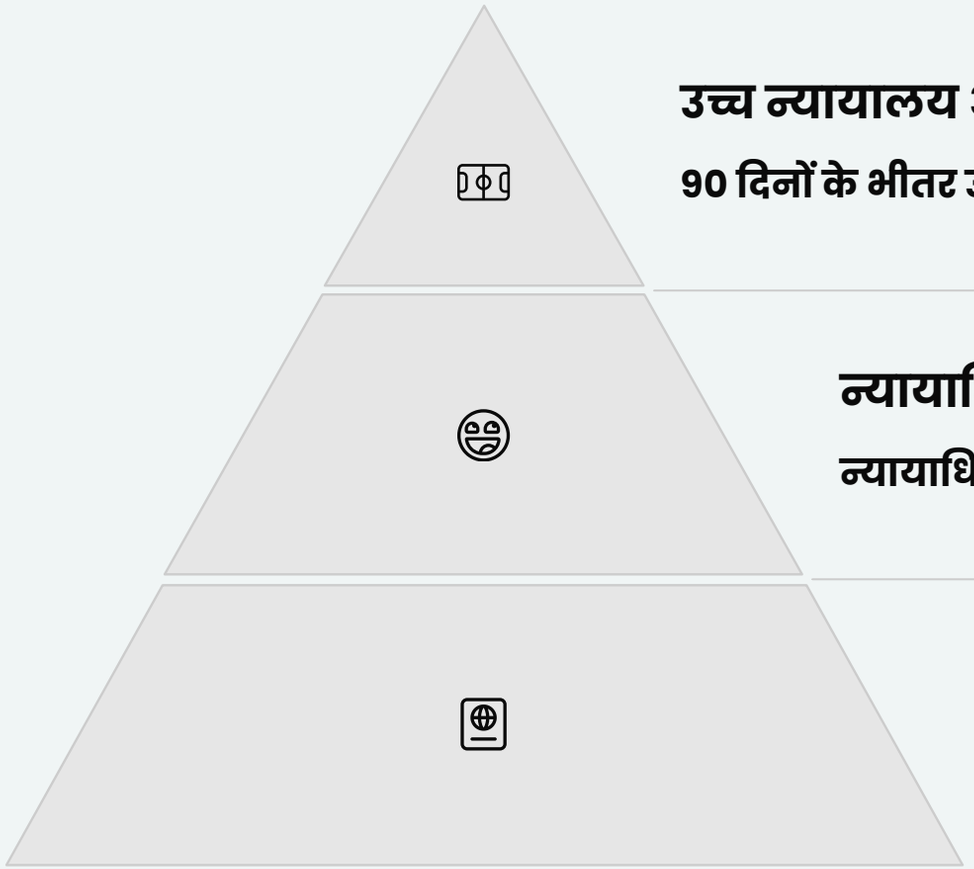

उच्च न्यायालय अपील

90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालयों में सीधे अपील

न्यायाधिकरण अंतिमता का हटाना

न्यायाधिकरण के निर्णय अब अंतिम और बाध्यकारी नहीं हैं

पंजीकरण आवश्यकता

छह महीने के भीतर संपत्ति पंजीकृत न होने पर अदालतें मुकदमा नहीं सुन सकती हैं

नए विधेयक में वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णयों की अंतिमता को हटा दिया गया है, जिससे पीड़ित पक्ष 90 दिनों के भीतर संबंधित उच्च न्यायालय में सीधे अपील कर सकते हैं। यह प्रावधान न्यायिक पर्यवेक्षण को बढ़ाने और शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकने का लक्ष्य रखता है। हालांकि, अदालतें कानून के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर वक्फ संपत्ति का पंजीकरण न होने पर अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित मुकदमे नहीं सुन सकती हैं, देरी के लिए "पर्याप्त कारण" के अपवाद को छोड़कर।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भविष्य की संभावनाएं

समुदाय की चिंताएं

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि "वक़्फ़ अधिनियम में कोई भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा," जो धार्मिक स्वायत्तता पर संभावित प्रभावों के बारे में समुदाय की व्यापक चिंता को प्रतिबिंबित करता है।

सरकार का रुख

सरकार इन संशोधनों को पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों के रूप में न्यायसंगत ठहराती है, जैसे कि यूपीए सरकार द्वारा 123 वक़्फ़ संपत्तियों को दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को स्थानांतरित करना।

विपक्ष की आलोचना

असदुद्दीन ओवैसी जैसे विपक्षी नेता तर्क देते हैं कि ये संशोधन "मुसलमानों को वक़्फ़ संपत्तियों से वंचित करने के लिए किए गए हैं" और संविधान द्वारा गारंटीशुदा "धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन" हैं।

👉 ऐसी ही UPSC Special Current News PDF के लिए Visit करें हमारी Official Website : www.ojaank.com

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link :
https://www.ojaank.com/books/current-affairs-magazine

👉 DAILY FREE ENGLISH NEWS PDFs Link : https://www.ojaank.com/hindi/books/current-affairs-magazine